न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 05/2014/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 22.01.2014
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र श्री मोडूलाल, माता गोपालीबाई, पुत्री भूरा
2. पन्नालाल पुत्र श्री मोडूलाल, माता गोपालीबाई, पुत्री भूरा जाति कुम्हार, निवासीगण बेंगना तहसील बारां जिला बारां

... अपीलांट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र नन्दकिशोर जाति कुम्हार, निवासी हापाहेडी तह0 अन्ता जिला बारां।
2. मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति कुम्हार, निवासी हापाहेडी तह0 अन्ता जिला बारां।
   मृतक जरिये का0मु0:–
   2/1 अनोख बाई पत्नी मोहनलाल
   2/2 महावीर पुत्र मोहनलाल
   2/3 गायत्री पुत्री मोहनलाल
   2/4 मीना पुत्री मोहनलाल
   2/5 राजेन्द्र नाबालिग पुत्र मोहनलाल
   2/6 राजेश नाबालिग पुत्री मोहनलाल
   जति कुम्हार निवासी हापाहेडी तह0 अन्ता जिला बारां।
3. कस्तूरी बाई पुत्री मोडूलाल, माता गोपालीबाई, पुत्री भूरा जाति कुम्हार, निवासी बेंगना तहसील बारां जिला बारां।
4. सूना बाई पत्नी रघुनाथ निवासी ढोलम तह0 छीपाबडौद पुत्री धन्नीबाई पुत्री भूरा (पत्नी लक्ष्मीनारायण) जाति कुम्हार निवासी दीगोद तह0 सांगोद जिला कोटा।
5. केशर बाई पत्नी मथुरालाल निवासी बेंगना तह0 बारां पुत्री धन्नी बाई पुत्री धन्नीबाई पुत्री भूरा (पत्नी लक्ष्मीनारायण) जाति कुम्हार निवासी दीगोद तह0 सांगोद जिला कोटा।
6. भैरूलाल पुत्र नहनी बाई पुत्री भूरा (पत्नी माधोलाल) जाति कुम्हार निवासी भंवरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां।
7. छीतरलाल पुत्र नहनीबाई पुत्री भूरा (पत्नी माधोलाल) जाति कुम्हार निवासी भंवरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां।
8. बद्रीलाल पुत्र नहनी बाई पुत्री भूरा (पत्नी माधोलाल) जाति कुम्हार निवासी भंवरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां।
9. गोरधनी बाई पुत्री नहनी बाई पुत्री भूरा (पत्नी माधोलाल) जाति कुम्हार निवासी भंवरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां

10. कन्याबाई पुत्री नहनी बाई पुत्री भूरा (पत्नी माधोलाल) जाति कुम्हार निवासी भंवरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां।
11. दाखां बाई पुत्री नहनी बाई पुत्री भूरा (पत्नी माधोलाल) जाति कुम्हार निवासी फूसरा तहसील बारां जिला बांरा जिला बांरा।

... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित : श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1,2,6 त,11

:::निर्णय:::

दिनांक 12.7.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार अन्ता जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 19/2008 धारा 135 (2) एल.आर.एक्ट बउनवान कन्हैयालाल वगेरा बनाम नाथूलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 12.10.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि कन्हैयालाल रेस्पो0 कम–1 ने गोपाली, धन्नी, नहनी पुत्रियां भूरा जाति कुम्हार निवासी हापाहेडी द्वारा उनके खाते की भूमि का वसीयतनामा अपने जीवनकाल मे कन्हैयालाल पुत्र नन्दकिशोर जाति कुम्हार नि0 हापाहेडी एवं मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति कुम्हार निवासी हापाहेडी के नाम दिनांक 20.3.1985 को कर दिये जाने तथा खातेदार गोपाली धन्नी नहनी का स्वर्गवास होने से मुताबिक वसीयतनामा इनके खाते की ग्राम हापाहेडी की भूमि पर राजस्व रिकार्ड मे वसीयतग्रहीताओं का नाम दाखिल खारिज करने हेतु दिनांक 20.3.2008 को प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम हापाहेडी की जमाबन्दी सन् 2005 की खाता संख्या 27 पर दर्ज खसरा नम्बर 89/0.40, 90/0.10, 95/0.30, 120/0.62, 362/1.02, 527/3.03 किता 6/5.47 है0 भूमि मे गोपाली, धन्नी बेटी भूरा के हिस्से 1/2 पर वसीयतग्रहीता कन्हैयालाल पुत्र नन्दकिशोर का नाम हिस्सा 1/4 मे तथा मृतक वसीयतग्रहीता मोहनलाल पुत्र बजरंगा के वारिसान पत्नी अनोखबाई महावीर पुत्र गायत्री मीना पुत्री एवं नाबालिग पुत्र राजेन्द्र व नाबालिग पुत्री राजेश नाबालिग की वली माता अनोखबाई का नाम हिस्सा 1/4 मे हिस्सा बराबर से दर्ज करने का दिनांक 12.10.2012 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट नाथूलाल, पन्नालाल ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत प्रमाणित नही होते हुये व किसी सक्षम न्यायालय से वसीयत को प्रमाणित किये बिना उक्त इन्तकाल खोल कर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा वसीयत को प्रमाणित नही किया गया। वर्ष 1985 की वसीयत जो 22 वर्ष पुरानी थी अचानक पिक्चर मे लायी गई थी जो सन्देहजनक है उस पर विश्वास करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है जबकि उक्त वसीयत को अपीलांट ने फर्जी बनावटी बताया था ऐसी स्थिति मे जहां पर किसी वसीयत पर संदेह उत्पन्न होता है तो जब तक सक्षम न्यायालय से ऐसी वसीयत प्रमाणित नही करवाई जाती या प्रोबेट प्राप्त नही किया जाता तब तक ऐसी वसीयत के आधार पर इन्तकाल नही खोला जा सकता था क्योंकि अपीलांट उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि वसीयत करने से पूर्व लगभग 5 वर्ष से वसीयती बीमार थी उसका बारां कभी भी आना जाना नही था और उक्त अंगूठा निशानी के आधार पर

उक्त वसीयतनामा तैयार किया गया जो पूर्ण रूप से सन्देह उत्पन्न करता है। यह तथ्य पर भी ध्यान नही कि तीन व्यक्तियों द्वारा कभी भी वसीयत तैयार नही की जाती है क्योंकि वसीयत मरने के बाद प्रभावी होती है और कभी भी तीन व्यक्तियों का संयुक्त रूप से मरना अस्वाभाविक है। वसीयत मे ऐसा कोई कारण भी नही है कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को छोडकर अन्य के हक मे किस आधार पर वसीयत की गई इससे वसीयत कूटरचित रूप व फर्जी रूप से तैयार की जाना प्रकट है। उक्त वसीयत न तो पंजीकृत है न ही नोटेरी से तस्दीकशुदा है गवाहान भी बेनेफिशियरी है जिनको तैयार कर न्यायालय मे पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे वसीयत के आधार पर कोई इन्तकाल नही खोला जा सकता था और यदि खोल दिया गया है तो वह अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी जायदाद है और पुश्तैनी जायदाद की वसीयत नही की जा सकती है। अटेस्टिगं विटनेस के बयानो मे परस्पर विरोधाभास है उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुये इन्तकाल खोलने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 17.12.12 से अपील अवधि मध्य है डिले कन्डोन हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.102012 अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा वसीयत को प्रमाणित नही किया गया। वर्ष 1985 की वसीयत जो 22 वर्ष पुरानी थी अचानक पिक्चर मे लायी गई थी जो सन्देहजनक है। तथाकथित वसीयतनामा गोपाली नहनी धन्नी तीन बहिनो द्वारा संयुक्त रूप से की गई। अपीलांट उक्त तीनो के पुत्र होने से प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। गोपाली का स्वर्गवास सन् 1989 मे धन्नी का 1997 मे तथा नहनी का वर्ष 2003 मे हुआ अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1989 से 2003 तक वसीयत को छुपाया जो संदेहास्पद होना प्रकट करती है तथा जहां पर किसी वसीयत पर संदेह उत्पन्न होता है तो जब तक सक्षम न्यायालय से ऐसी वसीयत प्रमाणित नही करवाई जाती या प्रोबेट प्राप्त नही किया जाता तब तक ऐसी वसीयत के आधार पर इन्तकाल नही खोला जा सकता था क्योंकि अपीलांट उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति मे वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि तीन व्यक्तियों द्वारा कभी भी वसीयत तैयार नही की जाती अटेस्टिगं विटनेस भी वसीयत को प्रमाणित नही कर पाये है क्योंकि वसीयत मरने के बाद प्रभावी होती है और कभी भी तीन व्यक्तियों का संयुक्त रूप से मरना अस्वाभाविक है। वसीयत मे ऐसा कोई कारण भी नही है कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को छोडकर अन्य के हक मे किस आधार पर वसीयत की गई इससे वसीयत कूटरचित व फर्जी रूप से तैयार की जाना प्रकट है। उक्त वसीयत न तो पंजीकृत है न ही नोटेरी से तस्दीकशुदा है गवाहान भी बेनेफिशियरी है जिनको तैयार कर न्यायालय मे पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे वसीयत के आधार पर कोई इन्तकाल नही खोला जा सकता था और यदि खोल दिया गया है तो वह अवैधानिक है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2012 अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान प्रकट किया कि विवादित आराजी के संबध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता मे नाथूलाल वगेरा बनाम पन्नालाल वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 का पेश हो चुका है जिसमे पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा ऐसी स्थिति मे उक्त वाद के निर्णय तक प्रकरण मे यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करना न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलाट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है जानकारी की दिनांक 17.12.12 से अपील अवधि मध्य होना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन हेतु पृथक से

धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण पर विचार किया गया। प्रकरण मे अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सीपीसी बावत विवादित आराजी के संबध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता मे नाथूलाल वगेरा बनाम पन्नालाल वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 की प्रमाणित प्रति रिकार्ड पर लेने बावत पेश की गई। रेस्पो0 अभिभाषक ने उक्त दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का कोई औचित्य नही होना वर्णित कर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र एवं ज़वाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन किया गया। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय मे सहायक होने से उक्त वर्णित दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सीपीसी के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता मे पेश वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि विवादित आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य रेगूलर राजस्व वाद प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता मे वर्तमान मे जेरकार है जिसमे पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा। अपीलांट ने अपील मिमो मे विवेचित तथ्यों के आलोक मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2012 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे पक्षकारान के मध्य स्वत्व का निर्धारण उक्त जेरकार वाद प्रकरण मे होना जाहिर करते हुये वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होना प्रकट किया गया। अतः उक्त विवेचित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हम न्यायहित मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2012 अपास्त कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता मे विचाराधीन वाद प्रकरण सं0 23/18 बउनवान नाथूलाल वगेरा बनाम पन्नालाल आदि अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के निर्णय तक विवादित आराजी के संबध मे राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित समझते है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता जिला बांरा द्वारा मिसल संख्या 19/2008 धारा 135 (2) एल.आर.एक्ट बउनवान कन्हैयालाल वगेरा बनाम नाथूलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 12.10.2012 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता मे विचाराधीन वाद प्रकरण सं0 23/18 बउनवान नाथूलाल वगेरा बनाम पन्नालाल आदि अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के निर्णय तक विवादित आराजी के संबध मे राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश दिये जाते है।

8 निर्णय आज दिनांक 12.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा